भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1490
28 जुलाई, 2023 को उत्तर के लिए

छावनी सीमाओं में नागरिक क्षेत्र

1490. श्रीमती मंगल सुरेश अंगड़ी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नगर निगमों से सटे छावनी सीमाओं (भीतर और बाहर दोनों) के नागरिक क्षेत्रों को पूरी तरह समाप्त करने अथवा उनके क्षेत्र में कमी करने के लिए किन्हीं उपायों पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को कोई परिपत्र जारी किए गए हैं जिनमें छावनी बोर्ड मौजूद हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितने राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों ने कार्रवाई की है/प्रतिक्रिया दी है; और

(ड.) क्या सरकार ने इस सूचना को कर्नाटक के मुख्य सचिव को भेज दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) से (ड.): छावनियों के नागरिक क्षेत्रों और निकट के राज्य नगर निगम क्षेत्रों को शासित करने वाले नगर निगम कानूनों में एकरूपता लाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि कुछ छावनियों के नागरिक क्षेत्रों को काटकर कम करने तथा उनको निकट के नगर निगमों के साथ आमेलित करने पर विचार किया जाए। तदनुसार, प्रस्तावित उच्छेदन के लिए विस्तृत तौर-तरीकों को संबंधित राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियों के लिए दिनांक 23.05.2022 (कर्नाटक के मामले में दिनांक 13.06.2022) को साझा किया गया है। इन तौर-तरीकों में मुख्य रूप से परिसंपत्तियों और देयताओं का अंतरण/बनाए रखना, छावनी बोर्ड के कर्मचारी, पेंशनभोगी तथा अन्य मामले सम्मिलित हैं। अभी तक 02 राज्य सरकारों अर्थात तेलंगाना और झारखंड ने इस प्रस्ताव पर अनापत्ति सूचित की है।

*****